रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/ आषाढ़ 3, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 79]

No. 122] DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASHADHA 3, 1938 [N.C.T.D. No. 79]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2016

सं. फा. 16(484)/श.वि./ जल/2015/1027–1028.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19.12.2014 के पत्र सं. 3/24(3)/2014–आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 12.5.2004 की अधिसूचना संख्या फा. 16(423)/श.वि./जल/2003/1724 द्वारा अधिसूचित उप मुख्य सूरक्षा अधिकारी की भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों 2003 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** .— (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी** के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैन्ड तथा ग्रेड पे/वेतनमान** .— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैन्ड तथा ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** .— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** .— कोई भी व्यक्ति

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** .— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** .— इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	02 (2014) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह-2 में 9300-34800/-रुपये (ग्रेड पे 4600/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नतिः- दिल्ली अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान से आग बुझाने के प्रबन्ध में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से डिग्री धारण करने वाले तथा ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित 4200/-रुपये ग्रेड पे सहित 9300-34800/-रुपये, पे बैंड-2 में सुरक्षा अधिकारी। **टीप 1**:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने

		(कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2**:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू राम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</u>** केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम /विश्वविद्यालय/अर्धसरकारी/ स्वायत्त या सांवधिक संगठनों या केन्द्रीय/राज्य पुलिस/सुरक्षा संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:– क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड–2 में वेतनमान में 9300–34800. रू., ग्रेड पे 4200/–रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित या मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले:– (1) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। (2) सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों में दो वर्ष का अनुभव (3) राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कॉलेज, नागपुर या रक्षा अग्नि शमन संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्नि शमन प्रबन्ध पाठयकम में छः माह का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण। **टीप** 1:– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।) **टीप** : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संषोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य प्रशासन–अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)–सदस्य 3. संयुक्त अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2016

No. F. 16 (484)/UD/W/2015/1027-1028.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(3)/2014-RR dated the 19th December, 2014 and in supersession of the Deputy Chief Security Officer recruitment and promotion regulations, 2003 notified vide notification F. 16(423)/UD/W/2003/1724 dated the 12th May, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Deputy Chief Security Officer in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement.**—These regulations may be called the Deputy Chief Security Officer in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2016.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any parsons from the operation for this regulation.

5. **Power to Relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Chief Security Officer.	2 (2014) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	PB-2, Rs. 9300-34,800 (Grade Pay Rs. 4600/-)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short - terms contract.	**Promotion:** Security Officer in PB-2, Rs. 9300- 34,800/- with Grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and possessing degree from a Recognised University/ Institute and have undergone 2 weeks training in fire fighting arrangement from Delhi Fires Service training institute. **Note 1:-** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2 :-** For the purpose of Computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

			Deputation(Including Short Term Contract):- Officers under Central/State Governments./ Union Territories/ Universities /Public Sector Undertaking/ Semi Government or Autonomous Or Statutory Organisations or Central/State Policy Or Security Organizations: **(a) (i)** Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ;or ii) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, Rs.9300-34,800/- with Grade Pay of Rs. 4200/- or equivalent in the Parent cadre or Department: AND b) Possessing the following educational qualifications and experience: - (I) Degree from a recognized University/ Institute. (II) Two years experience in the matter relating Security. (iii) Undergone successfully six month training in the Fire Fighting arrangements course from National Fire Service College, Nagpur or Defense Fire Service Institution or from any recognized Institutions. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation(ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note 2:-** For the purpose of appointment on deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the Recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one Pre-revised scale of pay into one Grade which a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extended only for the posts(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment..
12	13
Category 'B' Departmental Promotion Committee (for Considering Promotion). 1. Member (Administration.) - Member 2. Director (A&P) - Member 3. Joint Additional Director of Vigilance - Member	Consultation with Union Public Service Commission Necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

By Order and in the Name of
Government of National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.